संख्या-32/2021/।/115214/2021/71-4099/692/2021-4-

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0 प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनाँक 18 नवम्बर, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष-2021-22 में उ0 प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत एवं उच्च विशिष्टियों की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इकाई प्रभारी, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 सैफई, इटावा के पत्र संख्या-450/रानिनि/सैफई इकाई-1 इटावा/2021, दिनांक 02-08-2021, जिसके द्वारा उ0 प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.03.2016 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 46328.29 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष उ0 प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण कार्य हेतु विभिन्न शासनादेशों द्वारा अब तक धनराशि रू0 42062.20 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 में उ0 प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हेतु निर्माण कार्यों की पुनरीक्षित प्रायोजना हेतु रू0 48988.61लाख (रूपये चार अरब नवासी करोड़ अठ्ठासी लाख इकसठ हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

1. प्रायोजनान्तर्गत उच्च विशिष्टियों के अन्तर्गत टैराकोटा क्लेडिंग, वुडेन फ्लोरिंग, ग्रेनाइट, विनायल फ्लोरिंग, वाल पैनलिंग, ग्लास पैस फिटिंग, जी0आई0 मैटल सीलिंग, मिनरल फाइवर एकास्टिकल सस्पेन्डेड सीलिंग, 12 एम0एम0 थिक टफेण्ड ग्लास, नान माड्यूल फ्लाईऐस लाइम ब्रिक्स, बेड हेड पैनल, एल0ई0डी0 सकुर्लर सिलिड्रिकल सरफेस माउण्टेड डाउन लाइट-1000 एल0एम0, 1800 एल0एम0, 54 वाट टू टी-5 फ्लोरेशेन्ट् लैम्प, 15.5 वाट एल0ई0डी0 बोलार्ड, एल0ई0डी0 ल्यूमनियर, फ्लैन्ज माउण्टेड 6.00 मी0 एवं 8 मी0 ऊँचा हाटडिब्ड ग्लैवनाज्ड पी0यू0 कोटेड, एल0ई0डी0 लाइट के संबंध में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विश्वविद्यालय का होगा।
2. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कुलसचिव/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
3. प्रायोजना प्रस्ताव में जुलाई, 2017 से पूर्व कराये गये कार्यो पर सर्विस टैक्स तथा इसके उपरान्त अवशेष कार्यो पर जी0एस0टी0 धनराशि की गणना कर कार्यदायी संस्था के आधार पर अनुमन्य की गयी है। विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेगें कि जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविकता के आधार पर देय होगी।
4. कुलसचिव/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. प्रायोजना में कतिपय कार्य मदों यथा- मर्चरी उपकरण, सी0एस0एस0डी0 सिस्टम, करटेन ट्रक एवं आई0वी0टी0 सिस्टम, एक्सेस कन्ट्रोल सिस्टम, बेड हेड पैनल, सोलर पावर सिस्टम, आई0वी0एम0एस0 सिस्टम, सर्वर, आडियों वीडियों सिस्टम, नर्स कॉल सिस्टम, किचन उपकरण, लाण्ड्री सिस्टम, ई0पी0बी0एक्स0 सिस्टम, मॉडूलर ओ0टी0, सेन्ट्रल ए0सी0, लिफ्ट, बॉयलर सिस्टम, पी0ए0 सिस्टम, सी0सी0 टी0वी0, मेडिकल गैस पाइप लाइन, टेलीफोन, कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं वेस्ट मेनजमेण्ट का प्राविधान किया गया है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोपराइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके सिडूयल आफ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: यह अपेक्षा की जाती है निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. विश्वविद्यालय का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रयोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेगे कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का अंतिम रूप से अनुमोदित ड्राइग/डिजाइन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठन कर लिया गया है तथा इस विस्तृत पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृत प्राप्त हो गयी है।
7. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
8. प्रायोजना लागत का अनुमोदन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण करते हुए किया गया है।
9. कार्य की गुणवत्ता मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था की होगी।
10. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु जारी की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
11. प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्वि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26-08-2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. पुनरीक्षण के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-03-2020 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. चालू कार्यों के लिए वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-03-2021 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही कुलसचिव द्वारा की जायेगी।
15. प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।
16. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जाय।

4- कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने/कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, इटावा।
4. वित्त नियंत्रक, उ0 प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
5. वित्त ई-3/ नियोजन अनुभाग-4
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबंधक/ उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8. इकाई प्रभारी, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in